भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1440

(जिसका उत्तर 01 जुलाई, 2019/10 आषाढ़, 1941 (शक) को दिया जाना है)

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में वित्तीय धोखाधड़ी

1440. श्री रेवती त्रिपुरा:
श्री मनोज तिवारी:
डॉ॰ विजय कुमार दूबे:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में वित्तीय धोखाधड़ी के लिए कोई निगरानी तंत्र है और यदि हां, तो दिल्ली में नोडल एजेंसी और उसके अधिकारियों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और एक व्हिसिल ब्लोअर (सूचना प्रदाता) इन अधिकारियों से उनके नामों के खुलासे के लिए कैसे संपर्क कर सकता है; और

(ग) वित्तीय धोखाधड़ी में शामिल बैंक के शीर्ष अधिकारियों की विस्तृत सूची और गत दो वर्षों के दौरान देश में उनके खिलाफ पूछ-ताछ की दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तर पूर्वी राज्यों सहित राज्य-वार स्थिति क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारामन)

(क) और (ख): धोखाधड़ी – वर्गीकरण और वाणिज्यिक बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा सूचना देने के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 1.7.2016 के मास्टर निदेश (दिनांक 3.7.2017 की स्थिति के अनुसार अद्यतित) के अनुसार, बैंकों को व्यक्तिगत धोखाधड़ी के मामलों में इसके पता लगने के तीन सप्ताह के भीतर धोखाधड़ी निगरानी विवरणी (एफएमआर) भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करना आवश्यक है, चाहे इसमें कितनी भी राशि अंतर्ग्रस्त हो। 50 मिलियन रुपए या इससे अधिक अंतर्ग्रस्त राशि की धोखाधड़ी के संबंध में बैंक के मुख्यालय में सूचना प्राप्त होने के एक सप्ताह के भीतर बैंक को ऐसी धोखाधड़ी के संबंध में एफएमआर के अलावा एक फ्लैश रिपोर्ट (एफआर) प्रस्तुत करना अपेक्षित है। साथ ही, बैंकों को एफएमआर अपडेट एप्लीकेशन के जरिए धोखाधड़ी के मामले में हुई प्रगति को भी प्रस्तुत करना आवश्यक है।

जनवरी 2016 में 1 लाख रुपए तथा उससे अधिक की धोखाधड़ी के संबंध में बैंकों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले पता लगाने योग्य ऑनलाइन केंद्रीय धोखाधड़ी आंकड़ा आधार के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक में केंद्रीय धोखाधड़ी रजिस्ट्री (सीएफआर) का प्रचालन आरंभ किया गया। सीएफआर में बैंकों तथा चयनित वित्तीय संस्थाओं के द्वारा सूचित धोखाधड़ी के तौर-तरीके सहित इस संबंध में महत्वपूर्ण पहलू/सूचना दी जाती है। यह आंकड़ा आधार बैंकों को न केवल ऋण संबंधी निर्णय लेने के दौरान बल्कि साइबर धोखाधड़ी सहित एटीएम/डेबिट कार्ड तथा इंटरनेट बैंकिंग के विभिन्न क्षेत्रों में धोखाधड़ी को जानने में सहायक है।

सभी बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को यूजर आईडी तथा पासवर्ड के जरिए अभिगम अधिकार दिए गए हैं। सीएफआर बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं को बैंक के किसी खास संघटक के संबंध में अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा सूचित धोखाधड़ी के आधार पर अपनी संस्था में धोखाधड़ी का पता लगाने में सहायता करता है। बैंकों/वित्तीय संस्थाओं का यह प्राथमिक दायित्व है कि वे सीएफआर का प्रयोग करके अथवा बिना इसका प्रयोग किए धोखाधड़ी का पता लगाएं और धोखाधड़ी के वर्गीकरण तथा इसकी सूचना देने के संबंध में आरबीआई के विनियम का पालन करें। भारत सरकार ने दिनांक 29.4.2004 के शुद्धिपत्र के साथ पठित दिनांक 21.4.2004 की राजपत्र अधिसूचना सं. 371/12/2002-एवीडी-3 के द्वारा सार्वजनिक हित प्रकटीकरण तथा सूचनादाता संरक्षण संकल्प (पीआईडीपीआई), 2004 को अधिसूचित किया है, जो केंद्रीय सतर्कता आयोग को सूचना प्रदाता (व्हिसिल ब्लोअर) से शिकायत प्राप्त होने पर कार्रवाई करने की शक्ति प्रदान करता है। पीआईडीपीआई संकल्प में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित व्यवस्थाएं की गई हैं:

(i) इस आयोग को केंद्र सरकार अथवा किसी केंद्रीय अधिनियम के द्वारा या इसके अंतर्गत स्थापित किसी निगम, सरकारी कंपनियों, सोसाइटी या स्थानीय निकायों, जो केंद्र सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में हों, के किसी कर्मचारी पर भ्रष्टाचार या पद के दुरूपयोग के किसी आरोप के संबंध में लिखित शिकायतें प्राप्त करने अथवा इसके प्रकटीकरण के लिए नामोदिष्ट एजेंसी के रूप में प्राधिकृत किया गया है।

(ii) कोई सरकारी सेवक अथवा गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) सहित कोई व्यक्ति संविधान के अनुच्छेद 33 के खण्ड क से घ में उल्लिखित विषयों को छोड़कर नामोदिष्ट एजेंसी में लिखित प्रकटीकरण कर सकता है।

(iii) विभाग/संगठन के प्रमुख की जानकारी में आने पर वह सूचनादाता की गोपनीयता को बनाए रखेगा।

(iv) पद के दुरूपयोग या भ्रष्टाचार के आरोप को सही पाए जाने पर नामोदिष्ट एजेंसी संबंधित विभाग अथवा संगठन को उपयुक्त कार्रवाई करने की सिफारिश करेगी।

(v) यदि सूचनादाता को यह लगता है कि उसे परेशान किया जा रहा है, तो वह मामले के समाधान के लिए नामोदिष्ट एजेंसी के समक्ष आवेदन कर सकता है। नामोदिष्ट एजेंसी संबंधित लोक सेवक अथवा लोक प्राधिकरण को समुचित निदेश दे सकती है।

(vi) यदि नामोदिष्ट एजेंसी आवेदन प्राप्त होने पर अथवा एकत्र सूचना के आधार पर यह मानती है कि शिकायतकर्ता अथवा गवाह को सुरक्षा की आवश्यकता है, तो वह संबंधित सरकारी प्राधिकरणों को समुचित निदेश जारी कर सकती है; और

(vii) नामोदिष्ट एजेंसी के निदेश के बावजूद सूचनादाता की पहचान को प्रकट किए जाने के मामले में नामोदिष्ट एजेंसी विद्यमान विनियम के अनुसार इस प्रकार का प्रकटीकरण करने वाले व्यक्ति अथवा एजेंसी के विरुद्ध समुचित कार्रवाई करने के लिए प्राधिकृत है।

पीआईडीपीआई संकल्प, 2004 के अनुसरण में आयोग ने दिनांक 17.5.2004 के कार्यालय आदेश सं. 33/5/2004 के द्वारा पीआईडीपीआई संकल्प, 2004 के अंतर्गत सूचना-प्रदाता की शिकायत को दर्ज करने में अनुसरणीय प्रक्रिया के संबंध में दिशानिर्देश तथा सार्वजनिक नोटिस जारी किया है।

वर्ष 2004 के संकल्प के पश्चात्- कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने दिनांक 14.8.2013 की अधिसूचना सं. 371/4/2013-एवीडी3 के द्वारा पीआईडीपीआई संकल्प में आंशिक संशोधन किया है। इस संशोधन में, अन्य बातों के साथ-साथ, भारत सरकार के मंत्रालयों अथवा विभागों के मुख्य सतर्कता अधिकारी को मंत्रालय अथवा विभाग या किसी केंद्रीय अधिनियम के द्वारा या इसके अंतर्गत स्थापित किसी निगम, सरकारी कंपनियों, सोसाइटी या स्थानीय निकाय, जो केंद्र सरकार के स्वामित्व अथवा नियंत्रण में हों और जो उक्त मंत्रालय अथवा विभाग के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता हो, के किसी कर्मचारी पर भ्रष्टाचार अथवा पद के दुरूपयोग की लिखित शिकायत प्राप्त करने अथवा इसे प्रकट करने के लिए नामोदिष्ट प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। इस संशोधन में केंद्रीय सतर्कता आयोग को नामोदिष्ट प्राधिकारी से भी प्राप्त शिकायतों के पर्यवेक्षण तथा निगरानी के लिए प्राधिकृत किया गया है।

(ग): वर्ष 2015, 2016 और 2017 के दौरान बैंक-वार मामलों का ब्यौरा, जिनमें केंद्रीय सतर्कता आयोग ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अंतर्गत भ्रष्टाचार के मामलों में लिप्त सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के अधिकारियों/कर्मचारियों के अभियोजन हेतु स्वीकृति हेतु सलाह दी है, **अनुबंध** के रूप में संलग्न है।

*****

अनुबंध

वर्ष 2015, 2016 और 2017 के दौरान भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अंतर्गत अभियोजन स्वीकृति के मामलों का बैंक-वार ब्यौरा

2015

क्र.सं.	बैंक का नाम	मामलों की संख्या
1.	केनरा बैंक	1
2.	बैंक ऑफ इंडिया	1
3.	भारतीय स्टेट बैंक	3
4.	इंडियन ओवरसीज बैंक	1
5.	ओरियंटल बैंक ऑफ कामर्स	1
6.	यूको बैंक	1
7.	यूनियन बैंक	1
8.	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	2
	कुल	**11**

2016

क्र.सं.	बैंक का नाम	मामलों की संख्या
1.	कार्पोरेशन बैंक	2
2.	पंजाब नैशनल बैंक	2
3.	भारतीय स्टेट बैंक	1
4.	इंडियन ओवरसीज बैंक	1
5.	ओरियंटल बैंक ऑफ कामर्स	1
6.	यूको बैंक	1
7.	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	1
	कुल	**9**

2017

क्र.सं.	बैंक का नाम	मामलों की संख्या
1.	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	2
2.	पंजाब नैशनल बैंक	3
3.	बैंक ऑफ इंडिया	1
4.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	1
5.	आंध्रा बैंक	1
6.	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	2
	कुल	**10**